संख्या-173/2022/170(2)रासनि/23-1-22-19रासनि/2022

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::05 अगस्त, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत चालू कार्यों हेतु निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-436/CE-HQ-1/RSN 5054/SAH/2022-23, दिनांक 22.07.2022 एवं पत्र संख्या-483/CE-HQ-1/RSN 5054/SAH/2022-23, दिनांक 23.07.2022 द्वारा राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-58 के लेखाशीर्षक 5054 मद में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-171/2022/170रासनि/23-1-22/001-19आरएसएन/2022, दिनांक 04.08.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत 06 मार्गों हेतु रू0 933.92 लाख निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 933.92 लाख के स्थान पर त्रुटिवश रू0 15,82,80,000/- (रूपये पन्द्रह करोड़ बयासी लाख अस्सी हजार मात्र) अंकित हो गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है शासनादेश संख्या-171/2022/170रासनि/23-1-22/001-19आरएसएन/2022, दिनांक 04.08.2022 के प्रस्तर-2 में अंकित रू0 15,82,80,000/- के स्थान पर रू0 9,33,92,000/-(रूपये नौ करोड़ तैंतीस लाख बानबे हजार मात्र) पढ़ा व समझा जाय।

4- विषयगत शासनादेश संख्या-171/2022/170रासनि/23-1-22/001-19आरएसएन/ 2022, दिनांक 04.08.2022 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय । उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

क्रमशः.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-173/2022/170(3)रासनि(1)/23-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।

3- मुख्य अभियंता(मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।

4- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।

5- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

7- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

8- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8

9. नोडल अधिकारी( आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

10. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।